भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3558
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

उग्रवादी हिंसक घटनाएं और इनके कारण हुई मौतें

3558. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में विगत तीन वर्षों के दौरान उग्रवादी/नक्सली हिंसक घटनाओं और इनके कारण होने वाली मौत में कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ऐसी घटनाएं और इनके कारण होने वाली मौतें अधिक हुईं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना-2015 के दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा और एलडब्ल्यूई के प्रभाव के भौगोलिक फैलाव में लगातार कमी आई है। गत तीन वर्षों (2016-19) के दौरान हिंसा की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या में इससे पूर्व के तीन वर्षों (2013-15) की तुलना में क्रमश: 15.8% और 16.6% की कमी आई है। वर्ष 2018 में हिंसा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 60 रह जाना इस बात का प्रमाण है कि इसके भौगोलिक फैलाव में कमी आई है। साथ ही, वर्ष 2018 में दो तिहाई हिंसक घटनाएं केवल 10 जिलों में ही रिपोर्ट की गई थीं।

रा.स.अ.प्र.सं. 3558

वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति के भाग के रूप में सीपीआई (माओवादी) के प्रभाव वाले मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती तथा विकास संबंधी गतिविधियां शुरू की गई हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवादी सड़कों, मोबाइल टावरों आदि जैसी अवसंरचना को क्षति पहुंचाकर तथा विकास कार्य करने से ठेकेदारों एवं अन्य एजेंसियों को हतोत्साहित करने के लिए आगजनी करके सरकार की विकास संबंधी पहल का विरोध करते हैं। इसके कारण इन मुख्य क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

******